रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 162] नई दिल्ली, रविवार, अप्रैल 1, 2001/चैत्र 11, 1923
No. 162] NEW DELHI, SUNDAY, APRIL 1, 2001/CHAITRA 11, 1923

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2001

सा.का.नि. 241(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विमानन टरबाइन ईंधन (विपणन का विनियमन) आदेश, 2001 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएं** —इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) "अपमिश्रण" से विमानन टरबाइन ईंधन में अवैध रूप से या अप्राधिकृत रूप से किसी बाहय पदार्थ का समावेशन अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद, भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है;

(ii) "विमानन टरबाइन ईंधन" से ऐसा पेट्रोलियम आसुत अभिप्रेत है जो भारतीय मानक के ब्यूरो विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है;

(iii) "उपभोक्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी तेल कंपनी से उत्पादों का सीधे क्रय करता है और भंडार करता है तथा अपने उपभोग के लिए उत्पादों का उपयोग करता है और इसमें उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी या अभिकर्ता सम्मिलित हैं;

(iv) "विपणन" से क्रय और विक्रय करने के कार्य के लिए परिस्थितियां या अवसर अभिप्रेत है,

(v) "तेल कंपनी" से अभिप्रेत है इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आई बी पी कं. लिमिटेड या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐसा कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर, अधिकथित किए गए अनुबंधों के अनुसार सीधे उपभोक्ताओं को विमानन टरबाइन ईंधन के विक्रय में लगी हैं,

(vi) "परिवाहक" से विमानन टरबाइन ईंधन के परिवहन के लिए किसी तेल कंपनी या उपभोक्ता द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसमें उसके प्रतिनिधि, कर्मचारी या अभिकर्ता सम्मिलित हैं।

(vii) परिवहन ईंधन का अर्थ तथा इसमें सम्मिलित हैं विमानन टरबाइन ईंधन, उच्च वेग डीजल, मोटर स्पिरिट तथा अन्य ऐसा ईंधन जिसे सरकार समय-समय पर तद्घोषित करें—

3. **विमानन टरबाइन ईंधन के विपणन और उपयोग पर निबंधन—**

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति विमानन टरबाइन ईंधन का विक्रय नहीं करेगा,

(ख) विमानन टरबाइन ईंधन का विक्रय करने के लिए प्राधिकृत तेल कंपनी, विभिन्न प्रक्रमों पर, जिनमें भण्डारण, परिवहन और पुनः ईंधन भरने के प्रक्रम भी सम्मिलित हैं, क्वालिटी नियंत्रण बनाए रखेगी और क्वालिटी नियंत्रण जाँच करती रहेगी,

(ग) कोई भी व्यक्ति विमानन टरबाइन ईंधन में कोई बाह्य पदार्थ अपमिश्रित नहीं करेगा और न ही किसी रीति से ऐसा अपमिश्रण करने में सहायता करेगा।

4. **विमानन टरबाइन ईंधन के विपणन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकार जारी किए जाने के लिए आवेदन**

ऐसा कोई व्यक्ति, जो विमानन टरबाइन ईंधन का विक्रय करने के लिए प्राधिकार अभिप्राप्त करने का इच्छुक है, केन्द्रीय सरकार को अनुसूची-1 में दिए गए प्ररूप के अनुसार आवेदन करेगा।

5. **आवेदन फीस**

आवेदन के साथ आवेदन फीस के रूप में 1 लाख रुपए की रकम या तो बैंकर चैक द्वारा या वेतन और लेखा अधिकारी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पक्ष में नई दिल्ली में संदेय मांग पत्र के माध्यम से संदत्त की जाएगी।

6. **ऐसा फार्मेट, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा विमानन टरबाइन ईंधन विपणन करने का प्राधिकार जारी किया जाएगा—**

यदि केन्द्रीय सरकार की आवेदन के परीक्षण के पश्चात, यह संतुष्टि होती है कि आवेदक सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करता है, तो विमानन टरबाइन ईंधन का विपणन करने के लिए प्राधिकार, अनुसूची-2 में दिए गए फार्मेट के अनुसार जारी किया जाएगा।

7. **विमानन टरबाइन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकार की विधिमान्यता तथा नवीकरण के लिए आवेदन**

केन्द्रीय सरकार, आवेदनों की संवीक्षा करने के पश्चात, विमानन टरबाइन ईंधन विक्रय करने के लिए दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्राधिकार जारी कर सकेगी। विमानन टरबाइन ईंधन विक्रय करने के लिए प्राधिकार के नवीकरण की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति, फर्म या कंपनी, प्राधिकार की विधिमान्यता के पर्यवसान से कम से कम 60 दिन पूर्व अनुसूची-1 के अनुसार नया आवेदन केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

8. **तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति—**

(अ) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी या यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा सम्यक प्राधिकृत उप-पुलिस अधीक्षक से अभिन्न पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी या इस निमित्त सम्यकतः प्राधिकृत संबद्ध तेल कंपनी का विक्रय अधिकारी से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी, इस आदेश के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से या अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि इस आदेश या तद्धीन किए गए किसी अन्य आदेश का अनुपालन किया गया है,

(i) किसी ऐसे स्थान या परिसर में प्रवेश कर सकेगा या उसकी तलाशी ले सकेगा जिसका ऐसा उपयोग लिया जा रहा है या उपयोग किए जाने का संदेह है, जिसकी बाबत यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है।

(ii) ऐसे किसी व्यक्ति या यान या पात्र को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जिसका विमानन टरबाइन ईंधन के संचलन के लिए उपयोग किया गया है या जो ऐसे उपयोग में लाए जाने के लिए आशयित है।

(iii) विमानन टरबाइन ईंधन की ऐसी किसी लेखा बही या अन्य दस्तावेजों या किसी स्टाक का निरीक्षण कर सकेगा जिसका इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में उपयोग किया गया है या जिसका उपयोग किए जाने का संदेह है;

(iv) विमानन टरबाइन ईंधन के नमूने ले सकेगा और या विमानन टरबाइन ईंधन के स्टाकों में से किसी स्टाक का अभिग्रहण कर सकेगा जिसके लिए अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसका इस आदेश के उल्लंघन में उपयोग किया गया है या उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जाने वाला है और इसके पश्चात् आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) के उपबंधों के अधीन अधिकारिता रखने वाले कलक्टर के समक्ष इस प्रकार अभिगृहीत स्टाक मदों को प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करने के लिए और ऐसे प्रस्तुतीकरण के लंबित रहने के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय अपना सकेगा या अपनाने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(आ) खंड 8 (3) (IV) के अधीन उपबंधित अभिग्रहण की शक्ति का प्रयोग करते समय प्राधिकृत अधिकारी ऐसा करने के लिए कारणों को लिखित में लेखबद्ध करेगा, जिसकी एक प्रति तेल कम्पनी, परिवाहक, उपभोक्ता या किसी अन्य संबद्ध व्यक्ति को दी जाएगी।

(इ) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 के उपबंध, यथा शक्य इस आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

9. **विमानन टरबाइन ईंधन का नमूना लेना**

(क) खंड 8 में प्राधिकृत अधिकारी, यथा स्थिति, टैंक, रिफ्यूलर, पाइप लाइन, यान या पात्र से यह जांच करने के लिए कि क्या विमानन टरबाइन ईंधन भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देश की अपेक्षा के अनुरूप है या नहीं, नमूने लेगा।

(ख) नमूने स्वच्छ गिलास या एल्यूमीनियम के आधानों में लिए जाएंगे। प्लास्टिक के आधानों का नमूने लेने के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ग) खंड 8 में प्राधिकृत अधिकारी विमानन टरबाइन ईंधन एक-एक लिटर के 3 नमूने लेगा, उन पर हस्ताक्षर करेगा और मुद्रा लगाएगा। नमूना लेबल पर उस अधिकारी द्वारा जिसने नमूना लिया है, और संबद्ध तेल कम्पनी या संबद्ध व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएं तथा लेबल पर तेल कम्पनी/व्यक्ति के नाम, नमूना की मात्रा, तारीख, अधिकारी के नाम तथा हस्ताक्षर, तेल कम्पनी या संबद्ध व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि के नाम तथा हस्ताक्षर के बारे में जानकारी अन्तर्विष्ट होगी।

(घ) विमानन टरबाइन ईंधन का एक नमूना अभिस्वीकृति के अधीन तेल कम्पनी या परिवाहक या संबद्ध व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि को इस अनुदेश के साथ दिया जाएगा कि वह उस नमूने को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में तब तक परिरक्षित रखे जब तक कि परीक्षण या अन्वेषण पूरे न हो जाएं, एक नमूना प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रखा जाएगा और शेष एक नमूना प्रयोगशाला के विश्लेषण के लिए उपयोग में लिया जाएगा।

(ङ) प्राधिकृत अधिकारी, उपखंड (ख) के अधीन लिए गए विमानन टरबाइन ईंधन के नमूनों को 10 दिन के भीतर किसी ऐसी प्रयोगशाला को भेजेगा जो इस बारे में जांच करने की दृष्टि से विश्लेषण करने के लिए विमानन टरबाइन ईंधन नमूनों का परीक्षण करने के लिए नागर विमानन महानिदेशक, नागर विमानन मंत्रालय और वैमानिक क्वालिटी आश्वासन महानिदेशक रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत है, कि क्या विमानन टरबाइन ईंधन भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप है अथवा नहीं। प्राधिकृत प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में नमूना की प्राप्ति से दस दिन के भीतर प्राधिकृत अधिकारी को परीक्षण रिपोर्ट भेजेगी। प्राधिकृत अधिकारी, प्रयोगशाला से परीक्षण परिणामों की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर परीक्षण परिणाम को संबद्ध तेल कम्पनी या परिवाहक या व्यक्ति को संसूचित करेगा।

(10) **केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति**

केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर किसी तेल कम्पनी, परिवाहक या उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति को, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिसे वह विमानन टरबाइन ईंधन के भंडारण, विक्रय, परिवहन और व्ययन की बाबत आवश्यक समझे और ऐसे निदेश जारी किए जाने पर, ऐसी तेल कम्पनी परिवाहक या उपभोक्ता उनका अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।

अनुसूची 1

(खण्ड 4 और 5 देखें)

आवेदन प्ररूप

(विमानन टरबाइन ईंधन के विपणन का प्राधिकार जारी करने के लिए)

सेवा में,

संयुक्त सचिव (रा), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

1. आवेदक का नाम ------------------------------

2. फर्म की किस्म (जो लागू न हो उसे काट दें) ------------------------------

2क. पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी/
भागीदारी फर्म/स्वत्वधारी फर्म/अन्य ------------------------------

3. पते ------------------------------

3क. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय

3ख. विमानन टरबाइन ईंधन भण्डारण केन्द्र ------------------------------

4. निदेशकों/भागीदारों/स्वत्वधारी (रियों) के नाम, पते, टेलीफोन नम्बर

क्रम सं.	नाम	कार्यालय		निवास	
		पता	टेलीफोन	पता	टेलिफोन

5. उद्योग रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति विवरण

रजिस्ट्रीकरण/अनुज्ञप्ति संख्यांक	जारी करने की तारीख	कब तक विधि मान्य है	जारी करने वाला प्राधिकारी

6. विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण विवरण

6क. राज्य विक्रय कर

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	जारी करने की तारीख	कब तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

6ख. केन्द्रीय विक्रय कर

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक	जारी करने की तारीख	कब तक विधिमान्य	जारी करने वाला प्राधिकारी

7. विस्फोटक पदार्थ अनुज्ञप्ति विवरण

अनुज्ञप्ति संख्यांक	जारी करने की तारीख	कब तक विधिमान्य	विमानन टरबाइन ईंधन की भंडारण क्षमता (किलोलिटर में)

8. विमानन टरबाइन ईंधन भंडारण का विवरण

स्थान	टैंक संख्यांक	क्षमता (किलोलिटर में)

9. श्रेणी (जो लागू न हो, उसे काट दें)

9क. तेलशोधक कारखाना/तेल दोहन और उत्पादन कम्पनी

10. तेलशोधक कारखानों की दशा में :

10क. विनिवेश का विवरण

10ख. साधारण शेयर धारण का विवरण

11. तेलदोहन और उत्पादन कम्पनियों की दशा में

11क. पिछले तीन वर्ष के दौरान अपरिष्कृत तेल के उत्पादन का विवरण (वार्षिक रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

वर्ष	स्थान	उत्पादन (दस लाख टन में)

12. लेखाओं के संपरीक्षित विवरण का ब्यौरा

12क. क्या लेखा संपरीक्षित हैं ? हाँ/नहीं

12ख. यदि हां, तो अन्तिम वर्ष क्या है ?

(लेखा और संपरीक्षा रिपोर्ट और अन्तिम संपरीक्षित विवरण संलग्न करें)

13. विमानन टरबाइन ईंधन के ब्रांड का नाम और लोगो।

(प्रमाणित लोगो संलग्न करें)

14. संलग्न आवेदन फीस का विवरण

बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट सं.	तारीख
बैंक का नाम	शाखा
रकम	

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और इस आवेदन के साथ लगे हुए उपाबंध और कथन सही, पूर्ण और सत्य रूप से कथित हैं और यदि इसमें किया गया कोई कथन गलत पाया जाता है तो मैं विधि के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई के लिए दायी हूंगा।

तारीख---------------------- हस्ताक्षर------------------

स्थान--------------------- नाम--------------------

अनुसूची 2

(खण्ड 6 देखें)

फारमेट जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा विमानन टरबाइन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकार जारी किया जाएगा

प्राधिकार सं.-------------- तारीख------------------

विमानन टरबाइन ईंधन (विपणन का विनियमन) आदेश, 2001 के उपबन्धों के अनुसार विमानन टरबाइन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकार हेतु आवेदन की संवीक्षा के पश्चात् मैसर्स---को, जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय----------------------(पता) पर स्थित है, यह प्राधिकार जारी किए जाने की तारीख से निम्नलिखित विवरण के अनुसार विमानन टरबाईन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

1. श्रेणी (जो लागू न हो, उसे काट दें)

तेल शोधक--------------/तेल दोहन और उत्पादन कंपनी

2. विमानन टरबाइन ईंधन भंडारण केन्द्र : ----------------------------

----

3. विमानन टरबाइन ईंधन का ब्रांड नाम और लोगो :

4. कब तक विधिमान्य है :

(प्राधिकार के नवीकरण के लिए नया आवेदन विधिमान्यता के समाप्त होने के कम से कम 60 दिन पूर्व किया जाए)

5 कोई अन्य शर्त :

तारीख-------------------- हस्ताक्षर------------------

स्थान-------------------- नाम--------------------

पदनाम-------------------

मुद्रा--------------------

[फा. सं. पी-11013/1/2001-वितरण]

शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 31st March, 2001

GSR 241(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement –

(1) This order may be called the Aviation Turbine Fuel (Regulation of Marketing) Order, 2001.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Definitions - In this Order, unless the context otherwise requires,-

(i) "adulteration" means introduction of any foreign substance into aviation turbine fuel illegally or unauthorisedly with the result that the product does not conform to the requirements of the Bureau of Indian Standards specifications;

(ii) "aviation turbine fuel" means petroleum distillate which conforms to the requirements of Bureau of Indian Standards specifications.

(iii) "consumer " means a person who purchases products directly from an Oil Company and stores and utilises the products for his own consumption and shall include his representatives, employees or agents ;

(iv) "market" means the conditions or opportunities for the act of buying and selling;

(v) "oil company" means the Indian Oil Corporation Limited, the Hindustan Petroleum Corporation Limited, the Bharat Petroleum Corporation Limited, IBP Co. Limited or any person, firm or company authorised by the Central Government who is engaged in the sale of aviation turbine fuel directly to consumers in accordance with the stipulations laid down by the Central Government from time to time;

(vi) "transporter" means a person authorised by an Oil Company or a consumer to transport aviation turbine fuel and shall include his representatives, employees or agents.

(vii) "transportation fuels" means and includes Aviation Turbine Fuel(ATF), High Speed Diesel (HSD), Motor Spirit(MS) and such other fuels that may be declared to be as such by the Government from time to time.

3. Restrictions on marketing and use of aviation turbine fuel -

(a) no person other than those authorised by the Central Government shall sell aviation turbine fuel

(b) oil company, authorised to sell aviation turbine fuel, shall maintain quality control and quality control checks at various stages including storage, transportation and refueling;

(c) no person shall adulterate or help in any manner adulterating of aviation turbine fuel with any foreign substance.

4. Application for issue of authorisation by the Central Government to market Aviation Turbine Fuel -

whosoever desiring to secure authorisation to sell aviation turbine fuel shall submit application to the Central Government as per the form given in Schedule-I.

5. Application fee -

An amount of Rs. 1 lakh shall be paid as application fee alongwith with the application either by way of banker's cheque or demand draft in favour of Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas payable at New Delhi.

6. Authorisation to market Aviation Turbine Fuel -

If Central Government, after scrutiny of the application is satisfied that the applicant fulfills the conditions laid down by the Government for marketing of transportation fuels, authorisation to market aviation turbine fuel shall be issued as per the format specified in Schedule-II.

7. Validity of authorisation to market Aviation Turbine Fuel and application for renewal -

After scrutiny of the applications, the Central Government may issue authorisation to sell aviation turbine fuel for a period not exceeding two years. Person, firm or Company desiring renewal of the authorisation to sell aviation turbine fuel shall submit fresh application to the Central Government as per Schedule-I atleast 60 days before the expiry of validity of the authorisation.

8. Power of search and seizure -

(A) any Gazetted Officer of the Central or State Government or any Police Officer not below the rank of deputy superintendent of police duly authorised, by general or special order by the Central Government or State Government as the case may be or any officer of the concerned oil company duly authorised in this behalf not below the rank of sales officer may, with a view to securing compliance of the provisions of this order, or for the purpose of satisfying himself that this order or any order made thereunder has been complied with –

(i) enter and search any place or premises being made use of or suspected to be made use of with respect to which there is

reason to believe that the provisions of this order have been / are being or are about to be contravened;

(ii) stop and search any person or vehicle or receptacle used or intended to be used for movement of aviation turbine fuel;

(iii) inspect any book of accounts or other documents or any stock of aviation turbine fuel used or suspected to be used in contravention of the provisions of this order;

(iv) take samples of aviation turbine fuel and / or seize any of the stocks of aviation turbine fuel which the officer has reason to believe has been or is being or is about to be used in contravention of this order and hereafter take or authorise the taking of all measures necessary for securing the production of stocks / items so seized before the collector having jurisdiction under the provision of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and for their safe custody pending such production.

(B) while exercising the power of seizure provided under para 8 (A) (iv) the authorised officer shall record in writing the reasons for doing so, a copy of which shall be given to the oil company, transporter, consumer or any other concerned person.

(C) the provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to search and seizure shall, as far as may be, apply to searches and seizures under this order.

9. Sampling of Aviation Turbine Fuel -

(a) the officer authorised in para 8 shall draw the sample from the tank, refueler, pipeline, vehicle or receptacle as the case may be to check whether aviation turbine fuel conforms to the requirements of Bureau of Indian Standards specification;

(b) samples shall be taken in clean glass or aluminum containers. Plastic containers shall not be used for drawing samples.

(c) the officer authorised in para 8 shall take, sign and seal 3 samples of 1 litre each of aviation turbine fuel. The sample label should be jointly signed by the officer who has drawn the sample, and the concerned oil company or concerned person or his representative and the label shall contain information as regards name of the oil company/person, quantity of sample, date, name and signature of